कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com
Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2297 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 10 मई, 2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग अन्तर्गत भुवनेश्वरी मंदिर चाका पिछवाडा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.99 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/36299/2018

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/99/2020/एफ0सी0/2482 दिनांक 17–03–2021।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्रांक 1731/12–1 दिनांक 15.02.2024 के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–1)**
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–2)**
3.	**प्रतिपूरक वनीकरण :–**	
	क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.980 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम–नौली खसरा सं0 1294, 1295, 1296, 1395, 1396, 1397, 1400, 1401 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	(क) प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.980 है0 भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 22,17,994.00 (बाईस लाख सत्रह हजार नौ सौ चौरानवे रूपये मात्र) जमा की गयी है। **(संलग्न–3)**
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए0, 1980	(ख) शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 131/XI-22(2020-21) दिनांक 28.12.2021 से ग्राम–नौली, पट्टी–पौडीखाल की खाता संख्या–15 की खसरा संख्या 1294, 1295, 1296, 1395, 1396, 1397म0, 1400 एवं

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
	की guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। **ग)** वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	1401 की कुल 5.980 है0 सिविल भूमि को वन विभाग पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करवाया गया है। सचिव, वन अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 1074/X-3-22/1(102)/2020 दिनांक 27.10.2022 द्वारा उक्त सिविल भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी है। **(संलग्न-4)** **(ग)** शर्त के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि उक्त क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र में पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया हैं। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। **(संलग्न-5)**
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.980 है0 भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 22,17,994.00 (बाईस लाख सत्रह हजार नौ सौ चौरानवे रूपये मात्र) जमा की गयी है। (चालान की छाया प्रति संलग्न) **(संलग्न-6)**
5.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य :-** **(क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.99 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**(क)** शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 19,64,430.00 (उन्नीस लाख चौंसठ हजार चार सौ तीस रूपये मात्र) जमा करवाया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। **(संलग्न-7)** **(ख)** एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोत्तरी होगी तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। **(संलग्न-8)**

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–9)**
7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	शर्त संख्या–7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं अन्य वॉछित धनराशि ऑन लाईन चालान सत्यापन के पश्चात ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा की गई है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–7)**
8.	गाईडलाईन में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा काई और गतिविधि नही की जाएगी।	शर्त संख्या 8 के अनुपालन में वृक्षों के छपान आदेश की प्रति संलग्न है एवं कार्य प्रारम्भ करने हेतु आदेश की प्रति आदेश जारी किये जाने पर उपलब्ध करायी जाएगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–8)**
9.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–9)**
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की सख्या बढाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–10)**
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–11)**
12.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–12)**
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–13)**
14.	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–14)**
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–15)**

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
16.	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है एवं सीमांकन की धनराशि चालान के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी के पक्ष में जमा करायी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्न–16)**
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–17)**
18.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–18)**
19.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–19)**
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–20)**
21.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–20)**
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–20)**
23.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–20)**

E-mail. ...

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 2297 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती के पत्रांक 1731 / 12–1 दिनांक 15.02.2024 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 96 /33 सी
दिनांक 12 / 01 /2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।

विषय – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव स0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 99 / 2020 / एफ0सी0 / 2482 दिनांक 17.03.2021 द्वारा प्राप्त है। जिसकी अनुपालन आख्या आपको पूर्ण रूप से पांच–पांच प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं0 1 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 2 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 3(क) :– के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 5.980 है0 ग्राम नौली सिविल की खसरा सं0 1294, 1295, 1296, 1395, 1396, 1397, 1400 एवं 1401 सिविल सोयम वनभूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 2217994.00 की धनराशि ऑनलाइन चालान द्वारा दि0 12.01.2022 को जमा कर दी गई है। जहाँ तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जायेगा (चालान की प्रति एवं प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 3(ख) :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश स0 131 / XI-21(2021–22) दिनांक नई टिहरी, दिसम्बर 28, 2021 को हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न) तथा इस भूमि की राज्य अभिलेखों में वन विभाग के नाम इन्द्राराजी की गई है। (प्रमाण पत्र संलग्न) भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 3(ग) :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। जिस हेतु वन मंडल अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 4 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं 10 वर्षों के रख–रखाव सहित निर्धारित धनराशि रू0 2217994.00 दिनांक 12.01.2022 को चालान द्वारा ऑनलाईन जमा कर दी गई है (संलग्न चालान की प्रति) एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत का प्राक्कलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तैयार करवाकर रू0 30.10 लाख धनराशि ऑन लाईन (आर0टी0जी0एस0) के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को भेज दिया गया है।

शर्त सं0 5(क) :– के अनुपालन में एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 1964430.00 दिनांक 12.01.2022 को ऑन लाईन जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति एवं प्रमाण–पत्र संलग्न है)।

शर्त सं0 5(ख) :– के अनुपालन में यदि एन0पी0वी0 की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 6 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जायेगा। प्रस्ताव के अनुसार 63 वृक्षों से अधिक नहीं होगी। तथा इस कार्यालय द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 7 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित / जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई–पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है (चालान की प्रति संलग्न)।

शर्त सं0 8 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाईड लाईन में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति आपको उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
पत्र प्राप्ति
2024
Deepak

15/11/24

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

— पृष्ठ सं0 2 पर —

शर्त सं0 9 :– के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा (प्रमाण–पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 10 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई0आर0सी0 मानदण्डो के अनुसार पर सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों–बीच पौधों की संख्या बढ़ायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियमन साईनेज लगाये जायेगें (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 12 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

शर्त सं0 13 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की बिना पूर्वानुमति के ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 14 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 15 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्य वनविभाग अथवा वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे कि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 16 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्राक्कलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तैयार कराकर प्राक्कलनानुसार धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी के पक्ष में ऑन लाईन पेमेन्ट (आर0टी0जी0एस0) द्वारा दिनांक 21.12.2023 को रू0 30.10 लाख की धनराशि जमा की गई है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 17 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

शर्त सं0 18 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 19 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 20 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 21 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्तें लागू की जाती है उसका पालन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 22 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा, मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 23 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि इस प्रस्ताव पर कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि लागू होते है तो उनकी जरूरी अनुमति ली जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 24 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर भी अपलोड की जायेगी।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें एवं मार्ग पर कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार पाच–पाच प्रतियों में।

12/01/24

(इं0 डी0पी0 आर्य)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक 96 /33 सी दिनांक 12 / 01 / 2024

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

12/01/24

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–1 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–2 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

<u>शर्त सं0–3 (क) का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 5.980 है0 ग्राम नौली सिविल की खसरा सं0 1294, 1295, 1296, 1395, 1396, 1397, 1400 एवं 1401 सिविल सोयम वनभूमि में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं जहाँ तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वेदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

[illegible] NON 2A ग्राम नौली पट्टी पैडुलस्यूं तह० जाखणीधार (टि०ग०) एन्टौनी सारन्य

प्रपत्र सं0 प–11

2	3	4	5	6	7	8	1	2	3
[illegible] सरकार वर्ग 4(ख) [illegible]	1294	0.502							
	1295	0.812							
	1296	1.123							
	1395	1.312							
	1396	0.852							
	1397 [illegible]	0.126							
	1400	0.441							
	1401	0.812							
योग	08	5.980							

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 वि0 वि0
श्रीनगर, मु0 कीर्तिनगर

उक्त भूमि अर्पण कब्जे में ली गई है।

उ०अ०

[illegible]

असल से नकल किया

09.11.2021

पटवारी-[illegible]
तहसील-जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल

पुनः सत्यापित किया

05.05.2022

पटवारी-[illegible]
तहसील-जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 12-01-2022

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6136299587
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/99/2020/FC
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHANDTehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	4182424/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words : Forty-One Lakh Eighty-Two Thousand Four Hundred and Twenty-Four Rupees Only

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

Depositor Signature

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

ampa@corpbank.co.in

after 7 working days,

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 वि0 वि0
श्रीनगर, मु0 कीर्तिनगर

Union Bank of India, Dehradun Road, Rishikesh 530697

मार्ग का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–3 (ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चयनित ग्राम नौली सिविल की गैरवानिकी भूमि को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित कर दिया गया है तथा इस भूमि की राज्य अभिलेखों में वन विभाग के नाम इन्द्राराजी की जा चुकी है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

::आदेश::

भारत सरकार, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/99/2020/एफ0सी0/2482 दिनांक 17.03.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग अन्तर्गत भुवनेश्वरी मंदिर चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुए नगर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.99है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृती प्रदान की गई हैं। जिसकी शर्त सं0 3(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.980है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम नौली के खसरा सं0 1294,1295,1296,1395,1396,1397,1400,1401 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

उक्त के क्रम उपजिलाधिकारी जाखणीधार के द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 31/र0का0(2020–2021),दिनांक 0.12.2021 को उल्लेख किया है कि ग्राम नौली की ज0वि0र0 खतौनी खाता सं0 15 में दर्ज खसरा न0 1294/0.502है0,1295/0.812, 1296/1.123है0,1395/1.312है0,1396/0.852है0,1397म0/0.126है0,1400/0.441है0, 1401/0.812है0 कुल 08 खेत मध्ये कुल रक्वा 5.980है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण हेतु प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं0	अर्जित रक्वा (है0)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
नौली	पौड़ीखाल	15	1294 1295 1296 1395 1396 1397म0 1400 1401	0.502है0 0.812है0 1.123है0 1.312है0 0.852है0 0.126है0 0.441है0 0.812है0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ
			योग	5.980है0	

प्रस्तावित जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग अन्तर्गत भुवनेश्वरी मंदिर चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुए नगर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या–2365/XVIII(II)/13-18 (120)/ 2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या:–2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी जाखणीधार के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा 5.980 है0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार जाखणीधार तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 131 /XI–22 (2020–21)दिनांक,नई टिहरी, दिसम्बर,28 ,2021.

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव,वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
6– अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर।
7– उप जिलाधिकारी जाखणीधार।
8– तहसीलदार जाखणीधार को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Photo copy Attested
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 वि0 वि0
श्रीनगर, मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–3 (ग) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwana_nauli_nagar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–4 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण भूमि पर पूतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत रू0 2217994.00 को यूनियन बैंक ऑफ इण्ड़िया के माध्यम से कैम्पा फंड़ में चालान द्वारा दिनांक 12.01.2022 को यह राशि जमा कर दी गई है एवं सीमांकन हेतु स्तंभन की लागत का प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती से स्वीकृति करवाकर रू0 30.10 लाख ऑन लाईन (आर0टी0जी0एस0) के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को प्रेषित कर दिया गया है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–5(क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 1964430.00 की धनराशि चालान द्वारा कैम्पा फंड़ में दिनांक 12.01.2022 को जमा कर दी गई है। (प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं एन0पी0वी0 की राशि को संयुक्त चालान द्वारा जमा कर दिया गया है।)

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 12-01-2022

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6136299587
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/99/2020/FC
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHANDTehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	4182424/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words : Forty-One Lakh Eighty-Two Thousand Four Hundred and Twenty-Four Rupees Only

Photo copy Attested

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

Depositor Signature
(Signature)

Bank Official
(Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Union Bank of India 530697 Dehradun Road, Rishikesh

ampa@corpbank.co.in

after 7 working days,

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–5(ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि एन0पी0बी0 की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwana_nauli_nagar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–6 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 53 वृक्ष एवं saplings (नई टिहरी वन प्रभाग) एवं 53 वृक्ष एवं 0 saplings (नई टिहरी वन प्रभाग) से अधिक नहीं होगी का कटान/पातन किया जायेगा। तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwana_nauli_nagar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

<u>शर्त सं0–7 का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड़ में हस्तान्तरित/ जमा की जाने वाले धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गई है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 12-01-2022

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6136299587
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/99/2020/FC
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHANDTehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	4182424/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words : Forty-One Lakh Eighty-Two Thousand Four Hundred and Twenty-Four Rupees Only

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० वि० वि०
श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

Depositor Signature

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Union Bank of India, Dehradun Road, Rishikesh

ampa@corpbank.co.in

after 7 working days,

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

<u>शर्त सं0–8 का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि गाईड़लाईनस में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा–11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति वन विभाग को प्रेषित की जायेगी। साथ ही यह इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–9 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratiker\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwana_nauli_nagar_Motor road.doc

Annexure-I

प्रारूप सं0 30

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. 688/XVII-33 (2017-2018) Dated 06/09/2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.990 hact. of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department, Kirtiangar** for **Construction of Bhuvneshwari Mandir to Chaka Pichwara to Nagar waya Nouli Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of Pauwikhal, Raadhar etc Villages in **Jakhanidhar** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire 2.990 Hac. of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30.2

b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.

c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो0 वि0 वि0

श्रीनगर, मु0 कीर्तिनगर

Signature

(सोनिका)

जिला अधिकारी

टिहरी गढ़वाल

Distt. Colector

It is further certified that – Minutes of meeting of **Bhuvneshwari Mandir to Chaka Pichwara to Nagar waya Nouli Motor Road** (5.00 KM) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.990 **Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० वि० वि०
श्रीनगर, पु० गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Signature
( )
Distt. Colector

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of (सोनिका) I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Hindolakhal** Block area measuring 2.990 **Hectare** for the construction of **Construction of Bhuvneshwari Mandir to Chaka Pichwara to Nagar waya Nouli Motor Road** in Tehsil JAKHANIDHAR of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of JAKHNIDHAR.......... Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

(सोनिका)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Place :- Tehri

District Collector/Chairman

District Tehri Garhwal
New Tehri

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर

प्रपत्र–

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी जाखणीधार
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड जाखणीधार परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.990 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.990 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कीर्तिनगर) की दिनांक 06/08/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ...., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री चन्दर सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष उप जिलाधिकारी टिहरी/[illegible]
2–	वी. के सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्रीमति मनीषा तिवाड़ी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्री अरविन्द रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र अमरोली	सदस्य

Photo copy Attested
सहायक अभियन्ता
[illegible] खण्ड लो0 नि0 वि0
श्रीनगर, मु0 कीर्तिनगर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नई टिहरी उप वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जाखणीधार परिक्षेत्र के **भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु 2.090 हे0 वन **भूमि लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– जाखणीधार
जनपद टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– जाखणीधार

जनपद टिहरी गढ़वाल

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 वि0 वि0
श्रीनगर, मु0 कीर्तिनगर

(63)

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि0मी0)

दिनांक 06/08/18 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति जनपद–

1.	श्री चतर सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी जाखणीधार	अध्यक्ष	[signature]
2.	श्री बी.के. बिष्ट	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	[signature] उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीचौरी उप वन प्रभाग
3.	श्रीमती मनीषा तिवाड़ी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	[signature] सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि0ख0-देवप्रयाग, टि0ग0
4.	श्री अतर सिंह रणावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र जामणी	सदस्य [signature]	[signature] अतर सिंह रणावत सदस्य क्षेत्र पंचायत- जामणी वि0 ख0- देवप्रयाग (टि0ग0)

Photo copy Attested

[signature]

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 वि0 वि0
श्रीनगर, मु0 कीर्तिनगर

प्रपत्र-- 23

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिडवाडा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत / ग्राम का नाम — डोभ / नौली

तहसील [illegible] जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड देवप्रयाग में भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिडवाडा से नौली होते हुए नगर तक मोटर मार्ग निर्माण की परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.990 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.990 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डोभ/नौली द्वारा दिनांक 25/7/18 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डोभ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Photo copy attested
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 वि0 वि0
श्रीनगर, मु0 कीर्तिनगर

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....
वि0ख0 देवप्रयाग, टि0ग0

प्रधान ग्राम पंचायत ... ह0 रेखा देवी

ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत डोभ
हस्ताक्षर शोभा
दिनांक........
... देवप्रयाग (टिहरी गढ़वाल)

प्रपत्र—23.1

(13)

दिनांक 25/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत / ग्राम का नाम — डोब / नौली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरबीर सिंह रावत	
2	भगवान सिंह रावत	[illegible]
3	मकान सिंह	Bawat
4	मोर सिंह	मकान सिंह
		मोरसिंह
5	प्रताप सिंह	
6	प्रेम सिंह	प्रतापसिंह
7	गुलाब सिंह	प्रेमसिंह
8	विक्रम सिंह	गुलाब सिंह
9	सत्या सिंह	विक्रम सिंह
10	रुक्मणी	सत्यासिंह
11	बैसाख सिंह	रुक्मणी
12	उर्मिला देवी	बैसाख सिंह
13	शशी देवी	[illegible]
14	किशोरी लाल	शशी
15	[illegible] सिंह	किशोरी लाल
16	[illegible]	[illegible]
17	सुरवीर सिंह	[illegible]
18	चन्द्रमणी	Susheu Sinh
19	ज्ञान सिंह	चन्द्रमणी
20	सुन्दर सिंह	ज्ञान सिंह
21	मंगल सिंह	सुन्दर सिंह
22	शिव सिंह रावत	मंगल सिंह
23	विनोद सिंह	शिव सिंह रावत
24	श्याम सिंह	विनोद सिंह
25	विजय सिंह	श्याम सिंह
		विजय सिंह

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर

हस्ताक्षर [illegible]

ह० / —
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

(66)

दिनांक 25/7/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत / ग्राम का नाम – डोभ / नौगी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	मोहनलाल	Mohan lal
(2)	अरविन्द प्रसाद	Arvind
(3)	पवन रतूड़ी	पवन रतूड़ी
(4)	प्रदीप रतूड़ी	प्रदीप रतूड़ी
(5)	अनुसूया प्रसाद	अनुसूया
(6)	पीताम्बर दत्त	पीताम्बर
(7)	राजेन्द्र प्रसाद	राजेन्द्र प्रसाद
(8)	सुमित रतूड़ी	सुमित रतूड़ी
(9)	दिनेश चन्द्र	दिनेश चन्द्र
10	रघुवीर सिंह कार्यवाहक	[illegible]

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0
श्रीनगर, मु0 कीर्तिनगर

ह0 [illegible]
ग्राम प्रधान
डोभ

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–10 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क को दोनो किनारें एवं बीचों बीच पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwana_nauli_nagar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–11 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–12 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwana_nauli_nagar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

<u>शर्त सं0–13 का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Pramen_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwana_nauli_nagar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–14 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–15 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–16 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि का परियोजना की लागत पर आर0सी0सी0 पिल्लरों द्वारा सीमांकन राजि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्राक्लनानुसार धनराशि वनविभाग के पक्ष में रू0 30.10 लाख रू0 दिनांक 21.12.2023 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग टिहनी के पक्ष में ऑन लाईन (आर0टी0जी0एस0) द्वारा जमा कर दी गई है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwana_nauli_nagar_Motor road.doc

E-CHALLAN

Treasury Form -209(1)
Financial Handbook Vol. V ,Part - II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury / Sub - Treasury / Bank / Bank Branch Srinagar

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid)	Executive Engineer TD PWDSrinagar
2	Address	Srinagar
3	Registration Number (if necessary)	------------------------------
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	TRANSFER
5	Gross value of challan	3,010,000.00
6	Net value of challan	0
7	Full details of Head of Account (Transfer From)	505404337030454
8	13 Digit code of Head of A/C	As per details below

S.No.	Services	Detail Head	Amount
1	3048-Forest Division New Tehri	8443001090103	3010000
	Total Amount		3010000

Allotment ID :WH4201423112231000

Voucher Number

Voucher Date

Passed Amount

Amount in words Rupees Thirty Lacs Ten Thousand Only

Executive Engineer
T.D., P.W.D.
Srinagar, H.Q.-Kirtinagar

CTO/Sr. TO /STO Signature

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर, मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–17 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwara_nauli_nagar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–18 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–19 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तिरित नहीं की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwana_nauli_nagar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–20 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/99/2020/एफ0सी0/2482 दिनांक 17.03.2021 द्वारा अधिरोपित शर्तो का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwara_nauli_nagar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–21 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उसका भी पालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwans_nauli_nagar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–22 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगी कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा, तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में कटाई नहीं की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwana_nauli_nagar_Motor road.doc

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–23 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत भुवनेश्वरी मन्दिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुये नगर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.99 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/36299/2018)

शर्त सं0–24 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं0 8वी0/यू0सी0पी0/06/99/2020/एफ0सी0/2482 दिनांक 17.03.2021 द्वारा अधिरोपित शर्तो की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड़ कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd1 13.01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\IN-PRINCIPLE_Praman_patra_Bhuvneswari_mandir_chaka_pichwana_nauli_nagar_Motor road.doc